संख्या-16/2026/001-350(1)/1768333/12-2099/220/2023

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2026

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 की अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-एस0एफ0-2083-जी/नान प्लान/पुनर्विनियोग-180/2025-26, दिनॉक 14 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-113-कृषि इंजीनियरी-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-06-प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान(पी0एम0 कुसुम) योजना के मानक मद 27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि रू0 50622.82 लाख के सापेक्ष रू0 310.00 लाख की हो रही बचत से अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज वर्द्धन प्रक्षेत्र योजना के मानक मद 09-विद्युत देय में धनराशि रू0 310.00 लाख (रूपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी0एम0-09 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. बचत की धनराशि एवं व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
2. जिस योजना/मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसमें चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
3. जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद/कार्यों में आहरित कर व्यय की जायेगी।
4. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।
5. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 का होगा।
6. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के सबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. धनराशि के आहरण व्यय के दौरान वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-06/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,10,00,000 (रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001030300 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र **मानक मद** 09 विद्युत देय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-16/2026/001-350(2)/1768333/12-2099/220/2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ,
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश, द्वारा कृषि निदेशक, उ0प्र0,
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A012-20252026-350 2026 1768333 12-2099 220 2023

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-103-बीज-03-प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन एवं बीज वर्धन प्रक्षेत्र योजना हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001130600 (प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एंव उत्थान महाभियान (पी.एम. कुसुम) योजना)	27 (सब्सिडी)	3,76,44,82,000 रुपये तीन अरब छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख बयासी हजार मात्र	1.76,44,82,000 रुपये एक अरब छिहत्तर करोड़ चौवालीस लाख बयासी हजार मात्र	-7,19,00,000 रुपये सात करोड़ उन्नीस लाख मात्र	31000000	37334820000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र)	42 (अन्य व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	4,09,00,000 रुपये चार करोड़ नौ लाख मात्र	0	100000	2025-2026
011	2401001030300 (प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र)	09 (विद्युत देय)	2,90,00,000 रुपये दो करोड़ नब्बे लाख मात्र	3,10,00,000 रुपये तीन करोड़ दस लाख मात्र	31000000	60000000	2025-2026

File No. 12-2099/220/2023-कृषि अनुभाग-2-कृषि विभाग (Computer No. 1768333)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

1- स्तम्भ-3 में उल्लिखित धनराशि की बचत योजना में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति कम होने के कारण हो रही है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित 09-विद्युत में लम्बित भुगतान तथा मानक मद 42-अन्य व्यय में किसानों को क्षतिपूर्ति दिये जाने की अपरिहार्यता के दृष्टिगत व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसके कारण अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्याः आर ई-[illegible] -2025-26, दिनांक- मार्च, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(सर्वेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

Digitally signed by
RAHUL KUMAR
Date: 25-03-2026
16:19:45
(राहुल कुमार)
अनु सचिव।

संख्या : 350 2026 1768333 12-2099 220 2023 दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4- वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (बी0एम0-9 तीन प्रतियों में)।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से
(सर्वेश कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है । इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।